

दिनांक 01.07.2020 में आहुत राज्य नदी कायाकल्प समिति, उत्तराखण्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 01.07.2020 को आहुत राज्य नदी कायाकल्प समिति की 7वीं बैठक प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आहुत की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही:-

1. श्री एस0पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. श्री भजन सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. श्री अनुपम द्विवेदी, उपनिदेशक, उद्योग विभाग, देहरादून।
4. श्री रवि पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड शहरी विकास, देहरादून।
5. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. श्री सुभाष चन्द पंवार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 09 Polluting River Stretches हेतु वर्तमान तक किये गये कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 09 नदियों में से 04 नदियों क्रमशः ढेला, बहेल, सुसवा एवं किच्छा के एक्शन प्लान को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। 04 स्वीकृत एक्शन प्लान को क्रियान्वित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के तहत निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त सभी चारों एक्शन प्लान की माहवार प्रगति की समीक्षा सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। उक्त की माह मई, 2020 की प्रगति रिपोर्ट National Mission for Clean Ganga को प्रेषित की जा चुकी है।

राज्य की अन्य 05 पाँच नदियाँ क्रमशः कल्याणी, कोसी, गंगा, नन्धौर व पिलाखार के एक्शन प्लान को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ वापस किये गये हैं कि उक्त एक्शन प्लान को Time Line के साथ पुनः प्रेषित किये जायें।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सभी नदियों के एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवेज मैनेजमेंट हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर द्वितीय स्वीकृति हेतु National Mission for Clean Ganga, नई दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है। राज्य सरकार के पास उक्त कार्यों हेतु बजट की उपलब्धता नहीं है और न ही निगम के पास उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अन्य संसाधन हैं।

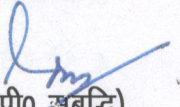
प्रमुख सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि राज्य स्तर से एक समिति का गठन किया जाये, जो कि राज्य में सीवेज निस्तारण की व्यवस्था हेतु उचित तकनीकी एवं अर्थिक दृष्टिकोण में विस्तृत अध्ययन कर शासन को आख्या प्रेषित करें।

इसके अतिरिक्त सम्यक विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि कोविड-19 के कारण राज्य के वित्तीय प्रबंधन की प्राथमिकता वर्तमान में राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं के उचित प्रबंधन एवं मूलभूत आवश्यकताओं पर केन्द्रित

है एवं राज्य में वित्तीय स्रोत के सीमित संसाधन हैं, जिस कारण सीवेज मैनेजमेंट हेतु पर्याप्त/वांछित वित्तीय प्रबन्धन सम्भव नहीं है। अतः उक्त सन्दर्भ में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराते हुये अग्रेतर समय वैधता की अवधि बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

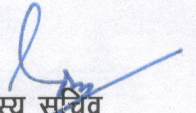
उपरोक्तानुसार यह भी निर्णय हुआ कि Priority III व IV के एक्शन प्लान हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वित्तीय प्रबंधन की उपलब्धता के आधार पर ही Time Frame Target सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये।

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।


(एस0पी0 सुबुद्धि)
आई.एफ.एस.

सदस्य सचिव

- प्रतिलिपि:—
1. अध्यक्ष, राज्य नदी कायाकल्प समिति/ प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 2. सचिव, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 3. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 4. श्री भजन सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 5. श्री अनुपम द्विवेदी, उपनिदेशक, उद्योग विभाग, देहरादून।
 6. श्री रवि पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड शहरी विकास, देहरादून।

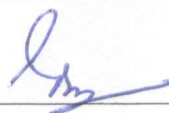
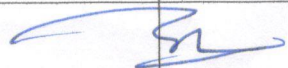
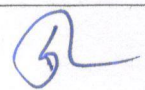

सदस्य सचिव

7th Meeting of Rive Rejuvenation Committee, Uttrakhand

(Constituted in compliance of order of Hon'ble NGT in the matter of OA 673/2018)

Date-01.07.2018

Time-11:45 AM

SL. No.	NAME	DEGINATION WITH DEPARTMENT	MOBILE NO	E-MAIL	SINGNATURE
1.	Anand Bardhan	Principal Secretary, Environment, Govt. of Uttrakhand			
2.	S.P. Subudhi,	Member Secretary, UKPCB			
3.	Bhajan Singh	MD. Brijal Nigam			
4.					
5.	Ravi Pandey	SE UDD.			
6.	Anupam Dwivedi	Ag. Director Industries Deptt-	7895316608	mpr@dotuk.org	
7.	Dr. Ankur Kaul	SE, UKPCB			
8.	Subhash Chand Panwar	AEE, UKPCB	9410995545		
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीसीबी / एच.ओ. / ~~183-344~~ / 2020 / 1315-256

दिनांक 06.07.2020

01/07/2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सीवेज के समुचित उपचार हेतु तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त पद्धति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन को आख्या दिये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 01.07.2020 को आर0आर0सी0 कमेटी बैठक में लिये गये निर्णय का सन्दर्भ लेना चाहें। राज्य में सीवेज के निस्तारण हेतु मुख्य रूप से सोकपिट, एस0टी0पी0, बायोडाईजेस्टर, बायोरेमिडिएशन एवं सेप्टेज मेनेजमेन्ट पद्धति प्रयोग में लायी जाती है। वर्तमान में एस0टी0पी0, बायोडाईजेस्टर एवं बायोरेमिडिएशन के माध्यम से सीवेज के उपचार हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं सेप्टेज मेनेजमेन्ट पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य के भौगोलिक परिस्थिति के कम में अधिकांश क्षेत्रों में वर्तमान में सोकपिट के माध्यम से सीवेज का निस्तारण होता है।

आपके संज्ञान में लाना है कि, समय-समय पर विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं कि, सीवेज के समुचित उपचार के बिना उसे सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा भी विभिन्न मूल आवेदनों में सीवेज के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। सीवेज के उपचार हेतु उपलब्ध विभिन्न पद्धतियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है एवं विभागों के पास भी इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अतः यह उचित होगा कि, राज्य के किन-किन क्षेत्रों में सीवेज के निस्तारण हेतु क्या-क्या पद्धति उपयुक्त रहेगी (तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से), के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाये। समिति का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित है :

- | | |
|--|--------------|
| 1. निदेशक, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन | : अध्यक्ष |
| 2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम | : सदस्य |
| 3. निदेशक, शहरी विकास विभाग | : सदस्य |
| 4. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान | : सदस्य |
| 5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | : सदस्य सचिव |
| द्वारा नामित प्रतिनिधि | |

समिति को यथावश्यक विषय विशेषज्ञों को नियमानुसार आबद्ध करने हेतु अधिकृत किया जाना उचित होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि, विषयगत प्रकरण पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि :-अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव।

91